अत्यावश्यक

पत्रांक—3प / मु०म०नि०यो०—19—32 / 2019 / 5163 / पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह,
निदेशक।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 30/3/2026

विषय :— **मुख्यमंत्री गली—नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना एवं विभाग द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित अन्य योजनाओं के सुचारू एवं सफल प्रबंधन हेतु राज्य क्वालिटी मॉनिटर एवं जिला क्वालिटी मॉनिटर के पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या—4864, दिनांक—05.09.2018 द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण गली—नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना एवं विभाग द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित अन्य योजनाओं के सुचारू एवं सफल प्रबंधन हेतु गठित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई एवं जिला परियोजना प्रबंधन इकाई के तकनीकी पदों पर संविदा आधारित नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के अधीन राज्य क्वालिटी मॉनिटर एवं जिला क्वालिटी मॉनिटर के तकनीकी पदों पर संविदा नियोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया जाना है।

इस नियोजन के लिए विज्ञापन प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि इसे राज्य से प्रकाशित सभी लोकप्रिय दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:— यथोक्त।

विश्वासभाजन

30/03/26

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक

C:\Users\pravi\OneDrive\Desktop\Letters.docx536

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना एवं विभाग द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित अन्य योजनाओं के सुचारू एवं सफल प्रबंधन हेतु राज्य क्वालिटी मॉनिटर एवं जिला क्वालिटी मॉनिटर के पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापनः–

राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना एवं विभाग द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित अन्य योजनाओं के सुचारू एवं सफल प्रबंधन हेतु राज्य क्वालिटी मॉनिटर के पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु कोटिवार पदों की संख्या, योग्यता, अनुभव, मानदेय एवं अन्य शर्त निम्नवत हैः–

Sl. No.	Type of post	Role/ Qualification & Experience	No. of post Vacant				Fixed Pay (per Month)
1.	State Quality Monitor	Retired SE and above from Civil Engineering	Total - 09				Last pay drawn Minus pension. The actual cost of contract will be calculated after employment. (Applicable Only to regular retired employees of old Pension Scheme)
			Cat	Male		Female	
			UR	03	-	01	
			EBC	02	-	00	
			SC	02	-	00	
			BC	00	-	00	
			ST	00	-	00	
			WBC	00	-	00	
			EWS	01	-	00	
			Total	**08**		**01**	

जिला क्वालिटी मॉनिटर के पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु कोटिवार पदों की संख्या, योग्यता, अनुभव, मानदेय एवं अन्य शर्त निम्नवत हैः–

Sl. No.	Type of post	Role/ Qualification & Experience	No. of post Vacant				Fixed Pay (per Month)
1.	District Quality Monitor	Retired Executive Engineer and above	Total - 38				Last pay drawn Minus pension. The actual cost of contract will be calculated after employment. (Applicable Only to regular retired employees of old Pension Scheme)
			Cat	Male		Female	
			UR	10	-	05	
			EBC	04	-	02	
			SC	05	-	02	
			BC	03	-	02	
			ST	00	-	00	
			WBC	00	-	01	
			EWS	03	-	01	
			Total	**25**		**13**	

अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पिड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता/संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–(8) के खंड–(क) से खंड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
1	1	1	1	4

2. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2526, दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को अनुमान्य क्षैतिज आरक्षण के तहत कुल 02 (दो) पद अनुमान्य होगा।

3. विज्ञापित पदों की संख्या में आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

4. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रता :–
   i) आवेदक भारत का नागरिक हो।
   ii) सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का संविदा आधारित नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–03/एम० 63/2013 सा०प्र०–10000, दिनांक–10.07.2015, पत्रांक–3815, दिनांक–11.03.2016 एवं पत्रांक–1012, दिनांक–27.01.2022 के उपबंधों से आच्छादित होगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया :–
   i) सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया का प्रबंधन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा।
   ii) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए अर्हता रखते हों तो एक से अधिक पदों पर अलग–अलग आवेदन कर सकते हैं।

6. स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तथा जिला क्वालिटी मॉनिटर के संबंधित पदों की संख्या/आरक्षण कोटिवार रिक्ति का विवरण पंचायती राज विभाग के उपलब्ध वेबसाईट– https://ps.bihar.gov.in/DPTSQM/ Default.aspx वेबसाईट पर प्रदर्शित है। उपलब्ध वेबसाईट पर दिनांक 2.4.26–25/4/26 के अपराह्न 05:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। राज्य क्वालिटी मॉनिटर एवं जिला क्वालिटी मॉनिटर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार दिव्यांगों एवं स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतिनी/पोता–पोती को क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है।

7. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–963, दिनांक–20.01.2016 में अंकित प्रावधान के आलोक में योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।

8. विभागीय संकल्प सं०–4864, दिनांक–05.09.2018 द्वारा SQM/DQM के स्वीकृत पदों में से आवश्यकतानुसार कम संख्या में नियोजन का निर्णय लिया जा सकता है।

   i) आवेदन के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में शपथ पत्र (नोटरी) समर्पित करना होगा। शपथ पत्र में कोई भी दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर संबंधित अभियंता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी एवं नियोजन स्वतः रद्द माना जायेगा।

9. Online आवेदन समर्पित करने के उपरान्त इसमें त्रुटि सुधार, भूल सुधार और किसी अन्य संशोधन हेतु कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा और न ही इसका अवसर दिया जायेगा। Online आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी।

   i) Online आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर मेधा निर्धारित करते हुए औपबंधिक पात्रता के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी। अभिलेख/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के उपरान्त ही पूर्णतः पात्रता के योग्य माना जायेगा।

10. चयन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अंक यथा –संबंधित विभाग में उसी पद/समकक्ष पद पर कार्यानुभव/अन्य विभागों में से उसी पद/समकक्ष पद पर कार्यानुभव/सेवानिवृत्ति के उपरांत उसी विभाग में उसी पद पर संविदा के आधार पर अधिकतम 2 वर्षों तक कार्यानुभव/संविदा नियोजन के समय उम्र/पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकण प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त अंक (कुल–25 अंक) एवं Group Discussion तथा Personal Interview के 25 अंक के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

   i) मेधा क्रमांक का निर्धारण करते हुए रिक्त पद पर नियोजन की कार्रवाई की जायेगी एवं एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जिसकी वैधता एक वर्ष तक के लिए होगी एवं भविष्य में होने वाली रिक्ति को कोटिवार उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा।

11. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बिहार के किसी भी जिले में की जा सकेगी।

12. राज्य क्वालिटी मॉनिटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रमंडल में एवं जिला क्वालिटी मॉनिटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को पंचायती राज विभाग द्वारा जिलों में पदस्थापित किया जायेगा।

13. अभ्यर्थियों को Counselling के समय निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा अन्यथा पात्रता रद्द कर दी जायेगी।

14. कार्य अनुभव के प्रमाण स्वरूप P.P.O को आधार माना जायेगा।

सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन+ सेवानिवृति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त मंहगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि+ सेवानिवृति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त मंहगाई राहत की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगी, वही राशि मानदेय के रूप में भुगतान की जायेगी।

15. संविदा के आधार पर नियोजन विभाग स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा प्राप्त करते हुये की जायेगी। नियोजन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों, अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिये होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिये उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। नियोजन अवधि विस्तार नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति पर यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जायेगा और इसके लिये अलग से कोई सूचना/आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा। नियोजन अवधि में भी विभाग द्वारा किसी भी कारणवश सेवा समाप्त की जा सकेगी।

16. अभ्यर्थियों को सेवाकाल के अन्तिम 10 वर्षो में कोई वृहद दण्ड अथवा अन्तिम 05 वर्ष में कोई दण्ड (लघु/वृहद) एवं सेवानिवृति से पूर्व अंतिम 05 (पाँच) वर्ष का गोपनीय अभ्युक्ति से संबंधित प्रतिवेदन P.P.O सहित आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

17. यह चयन विभागीय संकल्प सख्या–4864, दिनांक–05.09.2018 के आलोक में किया जा रहा है, जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

18. नियोजन/काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थियों द्वारा अद्यतन चिकित्सीय प्रमाण पत्र मूल में समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

19. शपथ पत्र का विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा जो विभागीय वेबसाईट PS. bihar.gov.in. से डाउनलोड किया जा सकता है।

20. चयन प्रक्रिया का सम्पूर्ण अधिकार पंचायती राज विभाग के पास सुरक्षित रहेगा एवं नियोजन प्रक्रिया को विभाग द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

20/03/26

(नवीन कुमार सिंह)
निदेशक